प्रेस विज्ञप्ति

1/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के एक साइबर धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कर ली है।प्रवर्तन निदेशालय ने अभियुक्त संतोष यादव के खिलाफ माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, रांची के समक्ष 29/08/2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें फास्टट्रैक मोड द्वारा सुनवाई में तेजी लाई गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरी सुनवाई 17 महीने के भीतर पूरी कर ली गई, और माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, रांची ने उक्त आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के लिए संतोष यादव के खिलाफ झारखंड पुलिस द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के दौरान, 11/09/2018 को आरोपी संतोष यादव के परिसर में पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1) के तहत तलाशी अभियान भी चलाया गया, जहां चार (4) मोबाइल फोन और सत्रह (17) सिम कार्ड के साथ कुछ दोषी ठेहराने वाले साक्ष्य जब्त किए थे। इसके बाद, इस निदेशालय ने आरोपी संतोष यादव के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उक्त अभियोजन शिकायत दर्ज की।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि संतोष यादव बैंक अधिकारियों के छद्मवेश में निर्दोष लोगों को उनके बैंक खातों से अवैध निकासी/स्थानांतरण के माध्यम से धोखा देता था। अपराध की इस तरह की आय को विभिन्न बैंक खातों और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से जमा किया गया और बाद में नकद के रूप में निकली गई।

इसके अलावा, माननीय अदालत ने संतोष यादव को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों का दोषी होने के लिए दोष सिद्ध किया और धारा 4 के तहत दंडनीय ठहराया। अदालत ने अपराध से अर्जित 15,24,500/- रुपए को पीएमएलए, 2002 की धारा 8(5) के तहत जब्त करने का भी आदेश दिया है।

****